फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

बनवारी लाल बनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण

केस संख्या 142 / 2021 (प्रार्थना पत्र)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा का विस्तृत रूप	विशेष विवरण
01.10.2021	पत्रावली पेश हुई। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण ने अपने यू ओ नोट कमांक 902 दिनांक 15.06.2021 के संलग्न प्रार्थी श्री बनवारी लाल पुत्र स्व॰ श्री नानूराम निवासी 72 गंगा विहार कालोनी, महेश नगर, जयपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण में विचाराधीन पत्रावली संख्या 02/2020 व उनवानी सरकार बनाम नरेन्द्र सिंह जाखड व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने का निवेदन किया है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जयपुर शहर दक्षिण से प्राप्त यू ओ नोट के संलग्न प्रार्थना पत्र श्री प्रार्थी बनवारी लाल का अवलोकन किया गया । प्रार्थी श्री बनवारी लाल द्वारा बिना हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। किसी पत्रावली को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के लिए युक्ति युक्त कारण के साथ विधिक प्रकिया के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। जबकि प्रार्थी द्वारा विना हस्ताक्षर किये एवं बिना विधिक प्रकिया अपनाये यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो दूषित होने से खारिज किये जाने योग्य है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। 1/10/21 (अन्तर सिंह नेहरा) जिला कलक्टर जयपुर	